'हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने सरकार से की सिफारिश'

'हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 53 सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं के दायरे में लाया जाए'

चंडीगढ़, 6 जुलाई (बंसल): भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरैंस और पारदर्शी सेवाएं मुहैया करवाने के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने सरकार से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.) द्वारा प्रदान की जा रही 53 सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं के दायरे में लाने की सिफारिश की है। साथ ही विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा को भी तर्कसंगत बनाने को कहा है। आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने बताया कि गत 5 जुलाई को हुई 36वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में आयोग द्वारा मई और जून दौरान किए गए कार्यों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि आयोग के ध्यान में आया है कि एच.एस.वी.पी. द्वारा इस समय 16 सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। हालांकि इसकी वैबसाइट पर 53 सेवाएं दर्शाई गई हैं। आयोग ने सरकार से इन सभी 53 सेवाओं को अधिसूचित करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि सेवाओं के लिए अधिसूचित समय सीमा को भी तर्कसंगत बनाने की जरूरत है, क्योंकि यह समय सीमा उस दौर की है, जब सेवाएं मैनुअल तरीके से प्रदान की जाती थीं परंतु अब सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। ऐसे में इसे भी व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए।

'अधिनियम तहत प्रदान की जा रही सेवाओं की संख्या को 551 से बढ़ाकर 1000 किया जाएगा'

गुप्ता ने भवन नक्शे की स्वीकृति का उदाहरण देते हुए बताया कि बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति के लिए 30 दिन की समय सीमा अधिसूचित की गई है परंतु आवासीय भवनों के मामले में एच.एस.वी.पी. की वैबसाइट पर यह केवल 3 दिन दर्शाई गई है। मुख्य आयुक्त ने कहा कि आयोग यह सुनिश्चित करने का काम करेगा कि विभिन्न विभागों द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं आमजन को निर्धारित समय सीमा के अंदर ही मिलें। साथ ही इस समय सीमा को भी व्यावहारिक बनाया जाएगा। इसके अलावा, अधिनियम के तहत प्रदान की जा रही सेवाओं की संख्या में भी इजाफा किया जाएगा।

आयोग के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक अधिनियम तहत प्रदान की जा रही सेवाओं की संख्या को 551 से बढ़ाकर 1,000 किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आयोग न केवल समय पर सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करेगा बल्कि इस बारे में आमजन को जागरूक भी किया जाएगा, ताकि वे अपने अधिकारों को जानें, उनके प्रति सजग रहें और उनकी मांग कर सकें।